अनुदान संख्या 84 – जहाजरानी विभाग
GRANT No. 84–DEPARTMENT OF SHIPPING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	786,52,00	1106,06,00	1011,86,73	–94,19,27
पूरक	Supplementary	319,54,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				90,18,62
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	588,65,00	588,69,00	443,10,64	–145,58,36
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				137,43,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (9419.27 लाख रु.) दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 31954.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9419.27 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grants of Rs.31954.00 lakhs obtained in December, 2006 and March, 2007 and 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7408.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–7408.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1114.00	1007.75	950.48	–57.27
पु.	R.	–106.25			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	17480.00	11731.00	11497.88	–233.12
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–5750.00			
मुख्य शीर्ष "3051" पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Major Head "3051" Ports and Light Houses				
मू.	O.	37817.00	49063.19	49426.96	+363.77
पू.	S.	8768.00			
पु.	R.	2478.19			
मुख्य शीर्ष "3052" जहाजरानी	Major Head "3052" Shipping				
मू.	O.	3000.00	2432.44	2065.41	–367.03
पु.	R.	–567.56			
मुख्य शीर्ष "3056" अंतर्देशीय जल परिवहन	Major Head "3056" Inland Water Transport				
मू.	O.	10303.00	35992.00	35915.00	–77.00
पू.	S.	23185.00			
पु.	R.	2504.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1320.00	1230.00	1200.00	–30.00
पु.	R.	–90.00			

(I) 11953.00 लाख रु. का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 11929.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.11953.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.11929.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान - 7408.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure – Lumpsum provision for projects/schemes of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.7408.00 lakhs- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष '2852'' - 'इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पोत प्रांगण और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगण को आर्थिक सहायता - 1801.00 लाख रु.(1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "2852" – "Engineering Industries – Transport Equipment Industries-Subsidy to non-central PSU Shipyards and Private Sector Shipyards" – Rs.1801.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) – due to non-receipt of approved proposal from competent authority.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - 'सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - सीआईडब्ल्यूटीसी से संबंधित स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान' - 2600.00 लाख रु. सीआईडब्ल्यूटीसी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3056" – "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants for implementation of Voluntary Retirement Schemes for CIWTC" – Rs.2600.00 lakhs - due to non-implementation of Voluntary Retirement Schemes for CIWTC.

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - 'केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लघु पत्तन - लघु पत्तनों का विकास - लघु पत्तनों के विकास के लिए व्यवहार्य जल विज्ञानीय/पर्यावरणीय अध्ययनों

(D) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Minor Ports - Development of Minor Ports - Grant for Conducting Feasibility Hydrographical/environmental studies for

को कराने के लिए अनुदान' - 120.00 लाख रु. राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण थे।

development of minor ports" - Rs.120.00 lakhs - due to receipt of less proposals from State Governments.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - जहाजरानी मंत्रालय'' के अंतर्गत 163.52 लाख रु. की बचत (1114.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, भारतीय दूतावास से नामे नोट के प्राप्त न होने और सादगीपूर्ण उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat – Ministry of Shipping"– saving of Rs.163.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1114.00 lakhs) was due to less medical claims, non–receipt of debit note from Indian Embassy and austerity measures.

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग'' - जहाज के निर्माण में आर्थिक सहायता' के अंतर्गत 4097.39 लाख रु. की बचत (15149.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Ship-building Subsidy" - saving of Rs.4097.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15149.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Public Sector Undertakings.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3051" -savings occurred under the following heads:-

(का) ''मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा नदी का तलकर्षण और हुगली नदी का रख-रखाव'' - 111.60 लाख रु. की बचत (3400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) "Major Ports - Assistance to Port Trusts - River Dredging and Maintenance of river Hooghly by Calcutta Port Trust" - saving of Rs.111.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3400.00 lakhs) was due to less requirement of funds by Kolkata Port Trust.

(खा) ''लघु पत्तन - निदेशन और प्रशासन - पोर्ट ब्लेयर में सीई तथा प्रशासक कार्यालय और नई दिल्ली में ईई तथा संपर्क कार्यालय संबंधी स्थापना प्रभार' - 132.54 लाख रु. की बचत (1625.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और छुट्टी यात्रा रियायत/यात्रा भत्ता का लाभ न उठाए जाने के कारण हुई।

(B) "Minor Ports - Direction and Administration – Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator Office at Port Blair and EE & Liaison Office at New Delhi" - saving of Rs.132.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1625.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-availing of LTC/TA.

(गा) ''प्रकाश स्तंभ और प्रकाशपोत' -

(C) "Lighthouses and Lightships" -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय' - 101.34 लाख रु. की बचत (1041.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of Rs.101.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1041.50 lakhs) was due to economy measures.

(ख) ''प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय - प्रबंधन' - 114.98 लाख रु. की बचत (1337.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय 'सी'' स्टेशनों को बंद करने, रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(b) "Lighthouses -Working Expenses - Management" - saving of Rs.114.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1337.00 lakhs) was due to closing of local 'C' stations, non -filling up of vacant posts and economy measures.

(घा) ''सामान्य - अनुसंधान और विकास - अन्य मद (अनुसंधान और विकास स्कीम)'' - 978.37 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(D) "General - Research and Development - Other items (R & D Scheme)" - saving of Rs.978.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-approval of proposals.

(V) मुख्य शीर्ष ''3052'' - ''जहाजरानी - तटीय जहाजरानी-निदेशन और प्रशासन - जहाजरानी महानिदेशालयके अंतर्गत 791.94 लाख रु. की बचत (1736.52 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, विदेश यात्राओं को मूर्त रूप न दिए जाने, विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय किए जाने और सरकारी प्रतिभूति मुद्रणालय से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3052" - "Shipping - Coastal Shipping - Direction and Administration - Director General of Shipping" - saving of Rs.791.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1736.52 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non materialisation of foreign tours, less expenditure on Advertisement and publicity and non-receipt of bills from Government Security Press.

(VI) तीन शीर्षों के अंतर्गत 243.63 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से ज्यादा और 38 प्रतिशत तक थीं।

(VI) Under three heads savings of Rs.243.63 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8914.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2007 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 10570.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.8914.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re–appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10570.00 lakhs in March, 2007 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' - ''पत्तन और प्रकाश स्तंभ - मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता - कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में अनुरक्षण और तलकर्षण'' - 3810.00 लाख रु. थे।

(A) Major Head "3051" - "Ports and Light Houses - Major Ports - Assistance to Port Trusts - Maintenance and Dredging in Haldia Channel by Calcutta Port Trust" - Rs.3810.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3056'' - ''अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता -

(B) Major Head "3056" - "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector and Other Undertakings" -

(क) ''भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान - 4565.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4489.00 लाख रु. था।

(ख) ''वेतन/मजदूरी की अदायगी के लिए सीआईडब्ल्यूटीसी को अनुदान'' - 539.00 लाख रु.।

(a) "Grants to Inland Water Ways Authority of India" - Rs.4565.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4489.00 lakhs.

(b) "Grants to CIWTC for Payment of Salary/ Wages" - Rs.539.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3051'' - 'पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ - प्रकाश स्तंभ और प्रकाशपोत - प्रकाश स्तंभ - कार्यचालन व्यय-

(क) 'प्रचालन और अनुरक्षण' - 152.09 लाख रु. का अधिक व्यय (1023.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाओं पर ज्यादा व्यय होने के कारण हुआ।

(ख) 'सामान्य आरक्षित निधि' - 459.40 लाख रु. का अधिक व्यय (4940.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाश संबंधी देयताओं के संग्रहण में वृद्धि की वजह से सामान्य आरक्षित निधि को अधिशेष के अंतरण में वृद्धि होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) Major Head "3051" - "Ports and Lighthouses - Lighthouses and Lightships - Lighthouses - Working Expenses" -

(a) "Operation and Maintenance" - excess of Rs.152.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1023.70 lakhs) was due to more expenditure on professional services.

(b) "General Reserve Fund" - excess of Rs.459.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4940.30 lakhs) was due to increase in transfer of surplus to General Reserve Fund owing to increased collection of lightdues.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5051'' पत्तनों तथा प्रकाशस्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	27334.00			
पू.	S.	1.00	15361.25	14542.38	–818.87
पु.	R.	–11973.75			
मुख्य शीर्ष ''5052'' जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	2650.00			
पू.	S.	1.00	2552.00	2551.00	–1.00
पु.	R.	–99.00			
मुख्य शीर्ष ''5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	21184.00			
			20560.00	20566.26	+6.26
पु.	R.	–624.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष '6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	6746.00			
पू.	S.	1.00	5701.00	5701.00	. .
पु.	R.	–1046.00			

(I) 6754.00 लाख रु. का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6751.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.6754.00 lakhs remained wholly unutilised under six heads; of these Rs.6751.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''5051'' - 'मुख्य पत्तन - पारादीप पत्तन न्यास - अन्य व्यय' - 4000.00 लाख रु. निधि का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "5051" – "Major Ports - Paradip Port Trust - Other Expenditure" – Rs.4000.00 lakhs - due to non-utilisation of fund.

(खा) मुख्य शीर्ष ''5052'' - 'समुद्रपार जहाजरानी - अन्य व्यय - सर्वेक्षण जलयान' - 2000.00 लाख रु. नए सर्वेक्षण जलयानों के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(B) Major Head "5052" – "Overseas Shipping - Other Expenditure - Survey Vessels" - Rs.2000.00 lakhs - due to delay in approval for acquisition of new survey vessels.

(गा) मुख्य शीर्ष ''6858'' - 'परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' - 751.00 लाख रु. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कर्ज का लाभ न उठाए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "6858" – "Transport Equipment Industries – Loans for Public Sector and Other Undertakings - Cochin Shipyard Ltd." - Rs.751.00 lakhs - due to non-availing of loan by Cochin Shipyard Ltd.

(II) मुख्य शीर्ष ''5051'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(का) 'मुख्य पत्तन - कोचीन पत्तन न्यास - परिवहन सुविधाएं और नौसेना' - 452.00 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/स्कीमों के अनुमोदन/पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Major Ports - Cochin Port Trust - Transport Facilities and Fleet" - saving of Rs.452.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to delay in approval /completion of the projects/schemes.

(खा) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - अवतरण सुविधाएं और घाटों का निर्माण' - 1367.06 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक

(B) "Minor Ports - Other Small Ports - Construction of landing facilities and jetties" - saving of Rs.1367.06 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.5734.00 lakhs including

अनुदान सहित 5734.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलवायुपरक स्थितियों की वजह से धीमी प्रगति होने, संरचनात्मक डिजाइन का परिशोधन किए जाने, उपस्करों इत्यादि के अनुमोदन तथा पूर्ति में विलंब होने के कारण हुई।

token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2006) was due to slow progress, owing to climatic conditions, revisions of structural design, delay in approval and supply of equipments etc.

(गा) ''लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन - सुनामी पश्च निर्माण कार्य'' - 4524.37 लाख रु. की बचत (8976.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/स्कीमों के अनुमोदन/पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(C) "Minor Ports - Other Small Ports - Post Tsunami Works" - saving of Rs.4524.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8976.00 lakhs) was due to delay in approval/completion of projects/schemes.

(घा) 'प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत' - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और सुधार - 2254.99 लाख रु. की बचत (2960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं/स्कीमों के अनुमोदन और उन्हें पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।

(D) "Lighthouses and Lightships - Construction and Development of Light Houses -Construction and Improvement of Lighthouses" - saving of Rs.2254.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2960.00 lakhs) was due to delay in approval and completion of the projects/schemes.

(ङ) 'सामान्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्य अभियंता - सह-प्रशासक - एएलएचडब्ल्यू' - 102.25 लाख रु. की बचत (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(E) "General - Direction and Administration - Chief Engineer-cum-Administrator - ALHW" - saving of Rs.102.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष ''5075'' - ''अन्य - अन्य व्यय - मुख्य पत्तन के लिए वेब आधारित इलैक्ट्रॉनिक डाटा अंतर्बदल का विकास'' के अंतर्गत 616.74 लाख रु. की बचत (783.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संविदा के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5075" - "Other - Other Expenditure - Development of Web based Electronic Data Interchange for Major Port" - saving of Rs.616.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.783.00 lakhs) was due to delay in approval of contract.

(IV) मुख्य शीर्ष ''6858'' - 'परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के लिए कर्ज - हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड'' के अंतर्गत 294.00 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2006 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4951.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंकन गोदी के अधिग्रहण/निर्माण के संबंध में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "6858" - "Transport Equipment Industries - Loans for Public Sector and Other Undertakings - Hindustan Shipyard Ltd." - saving of Rs.294.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4951.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2006) was due to less requirement of funds by Hindustan Shipyard Ltd. on account of acquisition /construction of Plotting Dock.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.99.00 lakhs occurred constituting 18 percent of sanctioned provision.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

4. The above savings were partly (Rs.2000.00 lakhs) utilised for augmenting the provisions by

जैसाकि मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय समुद्रतटवर्ती विश्वविद्यालय का विकास" के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, 1999.00 लाख रु. था।

re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Development of Indian Maritime University". Actual excess, however, was Rs.1999.00 lakhs.